

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-20-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके नवीन राजस्व ग्राम (मजरा) के लिए कालम (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

अनुसूची

तहसील : खैरलांजी		जिला : बालाघाट
क्र.	ग्राम का नाम एवं प.ह.नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	1. मूल ग्राम—सालेबर्डी 2. नवीन ग्राम—दैतबरा प.ह.नं. 06.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.
2.	1. मूल ग्राम—अमई 2. नवीन ग्राम—कन्हारटोला प.ह.नं. 19.	
तहसील : लांजी		जिला : बालाघाट
3.	1. मूल ग्राम—मनेरी 2. नवीन ग्राम—कनेरी प.ह.नं. 48.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.
तहसील : किरनापुर		जिला : बालाघाट
4.	1. मूल ग्राम—बूढ़ी 2. नवीन ग्राम—मराठा बूढ़ी प.ह.नं. 23.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.
तहसील : लालबर्ग		जिला : बालाघाट
5.	1. मूल ग्राम—मोहगांव (धपेरा) 2. नवीन ग्राम—खोगाटोला प.ह.नं. 63.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.
तहसील : बारासिवनी		जिला : बालाघाट
6.	1. मूल ग्राम—रामपायली 2. नवीन ग्राम—कसबीटोला प.ह.नं. 39.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, (नियमित) जिला बालाघाट.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

क्र. एफ 15-20-2013-सात-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15 20 2013 सात 6, दिनांक 10 जून 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 10th June 2013

F. No. 15-20-2013-Seven-6.—In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the new revenue village (Majra-tola) & original revenue village mentioned in column (2) of the Schedule below by the officer mentioned in column (3) there of:—

SCHEDULE

Tahsil : Khairlanji		District : Balaghat
S. No.	Name of original village	Designation of the Officer authorized to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1.	1. Org. Vill.—Salebardi 2. New Vill.—Daitbarra P.H.No.—06.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.
2.	1. Org. Vill.—Amai 2. New Vill.—Kanhartola P.H.No.—19.	
Tahsil : Lanji		District : Balaghat
3.	1. Org. Vill.—Maneri 2. New Vill.—Kaneri P.H.No.—48.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.
Tahsil : Kirnapur		District : Balaghat
4.	1. Org. Vill.—Budhi 2. New Vill.—Maratha budhi P.H.No.—23.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.
Tahsil : Lalbarra		District : Balaghat
5.	1. Org. Vill.—Mohgaon (Dhapera) 2. New Vill.—Khogotola P.H.No.—63.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.
Tahsil : Baraseoni		District : Balaghat
6.	1. Org. Vill.—Rampayli 2. New Vill.—Kasbitola P.H.No.—39.	Superintendent of Land Records (permanent), District—Balaghat.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ASHOK GUPTA, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 10 जून 2013

एफ क्र. 15-21-2013-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उसके